

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 25/2018/118 /चि0-3-17- टी0-1(105)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 10 जनवरी, 2018

कार्यालय जाप / शुद्धि पत्र

चिकित्सा अनुभाग-3 के कार्यालय जाप संख्या-20/2018/3700/चि0-3-17-टी0-1(105)/2017, दिनांक 05-01-2018 द्वारा डा0 आनन्द प्रताप सिंह (वरि0क्र0-12840, ले0-2), चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसिया, कुशीनगर का जनहित में स्थानांतरण जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर में ई0एम0ओ0 के पद पर किया गया है। उक्त कार्यालय जाप दिनांक 05-01-2018 में टंकण वृटिवश डा0 सिंह के सम्मुख (कॉलम-4) में तैनाती स्थान जिला चिकित्सालय, गोरखपुर के स्थान पर जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त कार्यालय जाप दिनांक 05-01-2018 में डा0 आनन्द प्रताप सिंह के नाम के सम्मुख अंकित जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर के स्थान पर जिला चिकित्सालय, गोरखपुर पदा जाय।

3- कार्यालय जाप दिनांक 05-01-2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त कार्यालय जाप की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(नर्वेद सिंह)

विशेष सचिव

संख्या- 25/2018/118 (1)/चि0-3-17.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर / गोरखपुर ।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर) ।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
11. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एन0 यादव)

अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।